



बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन: 0612-2231563, फैक्स नं.: 2231562, 2215089, वेबसाइट: www.bsca.bih.nic.in

पत्रांक : नि० प्रा०/नि० 1 23/2014

17 /पटना, दिनांक 13/01/2017

प्रेषक,

फूल सिंह,
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

सेवा में,

सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी।

विषय : प्रखंडस्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति का निर्वाचन, 2017 की प्रारंभिक तैयारी के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्यस्तरीय बैठक में आगामी प्रखंडस्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति के चुनाव के संदर्भ में यह निर्देशित किया गया था कि उक्त समिति के चुनाव हेतु मतदाता सूची की तैयारी हेतु संभावित कट-ऑफ तिथि दिनांक 31.01.2017 होगी, अतएव निर्वाचन देय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों की सूची के साथ मुख्य चुनाव पदाधिकारी के पक्ष में भुगतये ₹5,000/- (पाँच हजार रुपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट दिनांक 31.01.2017 तक प्राधिकार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही दिनांक 30.06.2017 तक अन्य निर्वाचन देय समितियों की सूची भी वांछित बैंक ड्राफ्ट के साथ शीघ्र प्राधिकार को उपलब्ध करा दिया जाय।

प्रखंडस्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति के चुनाव के संदर्भ में यह भी निर्देशित किया गया था कि जैसा कि पूर्व में निर्देश दिया जा चुका है कि पूर्व से जो सदस्यता/ मतदाता सूची बनी हुयी है और जिस पर मतदान हो चुका है, उस सूची को आधार सूची माना जाय। आधार सूची में नये बनाये गए सदस्यों का नाम जोड़ा जा सकता है या पुराने सदस्यों को हटाया जा सकता है किन्तु इसका सदस्यवार कारण स्पष्ट करना अपेक्षित है और इस प्रकार का निर्णय दिनांक 31.01.2017 के बाद प्रबंधकारिणी समिति/ बोर्ड की बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी के प्रतिनिधि के उपस्थिति में पारित कराना आवश्यक होगा।

अतः अनुरोध है कि निर्वाचन देय प्रखंडस्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों की सूची एवं अन्य निर्वाचन देय समितियों की सूची वांछित बैंक ड्राफ्ट के साथ दिनांक 31.01.2017 तक प्राधिकार को उपलब्ध कराते हुए मतदाता सूची की तैयारी के संबंध में यथा निर्देशित कार्रवाई का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं अपने स्तर से भी इसका अनुश्रवण किया जाय। इस पत्र की प्रति सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) को दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

(फूल सिंह)

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापक : 17

/पटना, दिनांक 13/01/2017

प्रतिलिपि : सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी